

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SPO) बायत..... मुकाम.....

..... दुर्गराम बनाम खानुराम वगैरा

किस्म मुकदमा..... रा० आवेदन 111, 128 RLR 08/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रतना राम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।</p>	
21/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गोटे नोटिस जरिये रजिस्टर्ड हई मिजवाये गये जिनकी डिलेक्ट रजिस्टर्ड प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली दिनांक 21/02/2022 को पेश किया गया। विप्रार्थी/गोटे वाकबुद सूचना अनुसूचित/न्यायालय समक्ष तीन बार भावाज लगाई गई किन्तु भावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/गोटे स्वयं या उनकी मोर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/गोटे के विरुद्ध एडवोकेट कार्यवाही समल में लाई जाती है।</p> <p>मतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 23/03/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SPO) बायत</p>


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज.

23/03/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 211
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 23/03/2022
विप्रार्थीगण

1. दुर्गराम पुत्र गुमनाराम,
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. खानुराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 26,
जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 08 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 366/234 रकबा 6.0784 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 23/03/2022

क्रमांक/वाद / 2022 / 212 + 216
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुर्गराम पुत्र गुमनाराम
4. विप्रार्थी श्री खानुराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 26
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDJ)